दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित :- 17.12.2021
निर्णय की तिथि :- 12.01.2022

रि.या.(सि.) 5374/2021 और आप.वि.(जमानत) 605/2021 (एलओसी का निलंबन)

विकास चौधरी .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री विकास पाहवा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री शदमान अहमद सिद्दीकी, श्री समज्योर लेपचा और श्री कुशाग्र रघुवंशी, अधिवक्तागण।

बनाम

भारत संघ व अन्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री अनुराग अहलूवालिया, प्र-1 के लिए केंद्र सरकार के स्थाई अधिवक्ता।
श्री ज़ोहेब हुसैन, वरि.स्था.अधि., श्री पार्थ सेमवाल, कनि.स्था.अधि. और सुश्री तुलिका गुप्ता, प्रत्यर्थी सं. 3/आयकर विभाग के लिए अधिवक्ता।

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेखा पल्ली,

<u>रेखा पल्ली, न्या.</u>

1. वर्तमान याचिका प्रत्यर्थी सं. 3/आयकर विभाग के कहने पर प्रत्यर्थी सं. 1/गृह मंत्रालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी लुक आउट सर्कुलर (इसमें इसके बाद "एलओसी" के रूप में संदर्भित) को रद्द करने की मांग करती है।

2. याचिकाकर्ता दो कंपनियों, अर्थात् मैसर्स नॉटिलस मेटल क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स आस्था अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं, जिनके दिल्ली में पंजीकृत कार्यालय हैं। यह दावा किया जाता है कि दोनों कंपनियां संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, यूके और यूएई को वस्त्र निर्यात करने के व्यवसाय में हैं, और उनके प्रदर्शन के आधार पर सरकार से विभिन्न प्रमाणपत्रों और पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं जिसमें *"दो सितारा निर्यात गृह का दर्जा"* और एक *"अधिकृत आर्थिक संचालक टी-1 प्रमाणपत्र"* शामिल हैं।

3. 'द कोचर ग्रुप' एक तीसरे पक्ष जिसमें अन्य लोगों के अलावा श्री अवतार सिंह कोचर, श्री गगनदीप सिंह कोचर, श्री हरि सिंह कोचर शामिल हैं तथा मैसर्स एचएल इम्पेक्स (पी) लिमिटेड नामक के विरुद्ध आयकर अधिनियम की धारा 132(1) के तहत दिनांक 05.02.2019 को जारी किए गए प्राधिकरण का वारंट (डब्ल्यूओए) के आधार पर दिनांक 06.02.2019 से 09.02.2019 तक याचिकाकर्ता के आवास पर तलाशी की कार्रवाई की गई थी। इस तलाशी के दौरान, कुछ खुले हुए कागजों के अलावा, एक हार्ड डिस्क, एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, लॉकर नंबर 150एफ, बैंक

ऑफ इंडिया, पंजाबी बाग, नई दिल्ली की एक चाबी को भी जब्त किया गया था और प्रक्रिया के अनुसार, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी दोनों के बयान दर्ज किए गए थे। इसके बाद, याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के विरुद्ध दिनांक 12.02.2019 को पूर्वोक्त लॉकर की तलाशी के लिए एक डब्ल्यूओए जारी किया गया, जिसके कारण लॉकर में पाए गए लगभग रु. 1,00,67,181 मूल्य के आभूषण जब्त किए गए। यह इस चरण पर है कि प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 को किए गए अनुरोध के आधार पर दिनांक 25.02.2019 को, याचिकाकर्ता के खिलाफ आक्षेपित एलओसी जारी किया गया।

4. प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 को एलओसी जारी करने के लिए प्रदान किए गए कारण जैसा कि निर्धारित परफॉर्मा के कॉलम 4 में दर्शाए गए हैं, निम्नलिखित हैं :-

> *"आयकर अधिनियम, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दंड और अभियोजन के योग्य विदेशी संस्थाओं में अघोषित विदेशी संपत्ति और हित।"*

5. इस बीच, दिनांक 05.02.2019 को जारी प्रारंभिक डब्ल्यूओए के तहत दिनांक 04.04.2019 को याचिकाकर्ता के आवास पर तलाशी कार्रवाई फिर से शुरू हुई, और दिनांक 05.04.2019 तक जारी रही, जब याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करने के बाद, एक अंतिम *पंचनामा* तैयार किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि जब्त

किए गए दस्तावेजों की प्रतियां और तलाशी कार्रवाई के दौरान दर्ज किए गए बयानों की प्रतियां प्रदान करने के उनके अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया था।

6. दिनांक 20.04.2019 को, वित्तीय वर्षों 2018-19 और 2019-20 के लिए उसकी आय के आकलन के लिए आयकर अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाहियां शुरू की गईं थीं, और जो 05.07.2021 दिनांकित दो मूल्यांकन आदेशों के साथ समाप्त हुईं। इन आदेशों के तहत, जिनको चुनौती याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है, उसकी अतिरिक्त आय का आकलन रु. 21.40 करोड़ किया गया है।

7. इस स्तर पर, यह भी ध्यान में रखा जाए कि याचिकाकर्ता ने रि.या.(सि) 5213/2020 के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उसके आवासीय परिसरों और उसके लॉकर पर की गई तलाशी की कार्यवाही को चुनौती दी है। इस रिट याचिका को खण्ड पीठ ने दिनांक 07.12.2020 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता के आवास और लॉकर पर तलाशी की प्रत्यर्थी की कार्रवाई उचित थी।

8. उसके खिलाफ एलओसी जारी होने के बारे में जानने पर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 02.04.2019, 04.05.2019, 15.05.2019 और 31.05.2019 के अभ्यावेदनों के माध्यम से प्रत्यर्थीगण से संपर्क करके इसे वापस लेने की मांग की। याचिकाकर्ता ने अपने अभ्यावेदन के साथ, शपथपत्र दिनांकित 04.05.2019 को भी प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि न तो उसके और न ही उसके परिवार के

किसी सदस्य के पास कोई विदेशी खाता या कोई अघोषित संपत्ति है। उक्त शपथपत्र के साथ इसके समर्थन में दुबई सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र भी थे।

9. हालांकि, यह पता चलने पर कि उनके अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, याचिकाकर्ता ने दिनांक 06.08.2019 को एलओसी को रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (एसीएमएम), तीस हजारी, नई दिल्ली का दरवाजा खटखटाया। दिनांक 27.08.2019 को, विद्वत एसीएमएम ने आक्षेपित एलओसी के प्रवर्तन को निलंबित करते हुए, कुछ शर्तों के अधीन, याचिकाकर्ता को संयुक्त अरब अमीरात को छोड़कर अन्य कहीं विदेश यात्रा करने की अनुमति दी। इस आदेश से व्यथित, प्रत्यर्थी ने विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) के समक्ष एक पुनरावलोकन याचिका दाखिल की, जिसे दिनांक 07.09.2019 को अनुमति दी गई। यह माना गया कि चूंकि याचिकाकर्ता न तो शिकायतकर्ता था और न ही आरोपी और न ही एसीएमएम के समक्ष लंबित किसी भी मामले में गवाह था, इसलिए एलओसी को निलंबित करने का आदेश बिना अधिकार क्षेत्र के था।

10. इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने एलओसी को रद्द करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका के समर्थन में, श्री विकास पाहवा, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रारम्भ में, प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित एलओसी, जो केवल इस संदेह के आधार पर जारी किया गया है कि

याचिकाकर्ता के पास अघोषित विदेशी संपत्ति है और विदेशी संस्थाओं में उसके हित हैं, मात्र इस आधार पर दरकिनार किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता के आवास पर बार-बार तलाशी की कार्रवाई के बावजूद, पहले फरवरी, 2019 में और फिर अप्रैल, 2019 में, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत, या यहां तक कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत, आज तक उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। इसलिए, वह तर्क देते हैं कि प्रत्यर्थी सं. 3 की मात्र आशंका कि याचिकाकर्ता, जो अन्यथा एक प्रतिष्ठित व्यवसायी है, भविष्य में इन अधिनियमों के तहत अभियोजित किया जा सकता है, उसे और अधिक परेशान करने का आधार नहीं हो सकता है, जैसा कि पिछले लगभग तीन वर्षों से हो रहा है। प्रत्यर्थी का अभिवचन है कि वह अभी भी दुबई के अधिकारियों से एक कथित अघोषित लेनदेन के बारे में जानकारी की मांग करने वाले, अपने विदेशी कर व कर अनुसंधान (एफ.टी. एंड टी.आर.) संदर्भों के जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसके बारे में दावा है कि यह याचिकाकर्ता के आवास पर तलाशी कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्यों से सामने आया है, प्रत्यर्थीगण की पूरी तरह से अप्रमाणित धारणा को कोई विश्वसनीयता नहीं दे सकता है कि याचिकाकर्ता ने मैसर्स सेंचुरियन इंटरनेशनल लिमिटेड नामक एक विदेशी कंपनी को इसके शेयरों के अधिग्रहण के लिए कोई राशि हस्तांतरित की थी। इसके अलावा, प्रत्यर्थीगण की इस पूरी तरह से निराधार धारणा का खंडन करने के लिए,

याचिकाकर्ता ने मई, 2019 में ही, प्रत्यर्थी सं. 3 को दुबई सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के साथ एक शपथपत्र दिया था, जिसमें स्पष्ट रूप से यह गवाही दी गई है कि न तो उसका और न ही उसके परिवार के किसी सदस्य का उक्त कंपनी में कोई शेयर है या दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में कोई अन्य संपत्ति है, इस पहलू को पिछले तीन वर्षों से प्रत्यर्थीगण द्वारा नजरअंदाज किया गया है।

11. श्री पाहवा, इस प्रकार तर्क देते हैं कि एक बार याचिकाकर्ता के परिसरों पर छापे मारने और उसके खिलाफ सभी संभव दंडात्मक कदम उठाने के बावजूद, प्रत्यर्थीगण ने, उसके खिलाफ किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री के अभाव में, उसके विरुद्ध या तो भारतीय दंड संहित या किसी अन्य दंड संहिता के तहत कोई मामला दर्ज नहीं किया है, वे अब दिनांक 05.12.2017 के कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा करके एलओसी को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, जिसे स्वीकार्य रूप से एलओसी जारी करने के समय कभी भी लागू नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी का यह मूर्खतापूर्ण अभिवचन कि याचिकाकर्ता का जाना भारत के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक होगा, प्रत्यर्थी सं. 1 के इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट मत को देखते हुए, कि प्रत्यर्थी सं. 3 से प्राप्त एलओसी जारी करने का अनुरोध दिनांक 27.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन के तहत था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक अनिवार्य पूर्व-शर्त रखता है कि व्यक्ति भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य दंड संहिता के तहत संज्ञेय अपराध में शामिल हो। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित एलओसी जारी करते समय प्रत्यर्थीगण ने ***सुमेर सिंह***

सल्कान बनाम सहायक निदेशकगण व अन्य 2010 एससीसी ऑनलाइन डेल 2699 में इस न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनदेखी की है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यक्ति के विरुद्ध एलओसी जारी किए जाने के लिए उसके विरुद्ध आपराधिक जांच अनिवार्य रूप से शुरू की गई हो।

12. श्री पाहवा, आगे, प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित एलओसी का बचाव करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 और 3 का मत भी विरोधाभासी हैं; जबकि प्रत्यर्थी सं. 3 ने अपने उत्तर में कहा है कि एलओसी इसलिए जारी की गई है क्योंकि याचिकाकर्ता का देश छोड़ना *"भारत के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक"* और इसलिए व्यापक सार्वजनिक हित के विरुद्ध है, पूरी तरह से इसके विपरीत, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रदान किए गए कारण, याचिकाकर्ता की कथित अघोषित विदेशी संपत्तियों और विदेशी संस्थाओं में कथित हितों का उल्लेख करेत हैं, जो आयकर अधिनियम, काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) एवं कर अधिनियम, 2015 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दंड के लिए योग्य हैं; इस प्रकार, यह स्पष्ट करता है कि आक्षेपित एलओसी को जारी करने व प्रत्यर्थी सं. 1 से इसका नवीनीकरण कराने की अपनी अवैध कार्यवाही के बचाव के लिए इस न्यायालय को भटकाने के लिए प्रत्यर्थी सं. 3 अस्पष्ट शब्दावली का प्रयोग कर रहा है। ***दीप्त सरूप अग्रवाल बनाम भारत संग 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 1913*** तथा ***बृज भूषण कथुरिया बनाम भारत संघ 2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 1260*** का अवलंबन लेकर, वह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थीगण ने 2017 के संशोधन

द्वारा स्थापित खंड, जो एलओसी जारी करने की अनुमति देता है, भले ही व्यक्ति संज्ञेय अपराध में शामिल न हो, को लागू करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया है। प्रत्यर्थीगण के पास उपलब्ध शक्ति का उल्लेख मात्र करना इसे प्रयोग करने के लिए कारण प्रदान करने का विकल्प नहीं हो सकता और इस तरह की प्रथा का न्यायालय द्वारा हमेशा दृढ़ता से विरोध किया गया है।

13. इस प्रकार, वह तर्क देता है कि 'देश के आर्थिक हित के लिए हानिकारक' शब्द का उपयोग प्रत्यर्थी स. 3 ने अपने जवाबी शपथ पत्र में केवल याचिकाकर्ता के खिलाफ उनके पास उपलब्ध किसी भी सामग्री के बिना, एल.ओ.सी जारी करने की अपनी मनमाना कार्रवाई को सही ठहराने के लिए है। याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने खाली आरोप को सही ठहराने के लिए ए.ई.डी 16,500,000 (रु. 30 करोड़ रुपये) में मैसर्स सेंचुरियन इंटरनेशनल लिमिटेड में 10% प्रतिशत शेयर खरीदने के लिए, प्रत्यर्थी स.3 ने एक अहस्ताक्षरित प्रारूप समझौता और कुछ व्हाट्सएप चैट पर भरोसा किया है, जिन्हें प्रत्यर्थीगण को भी पता है कि उनका आत्यन्तिक रूप कोई स्पष्ट मूल्य नहीं है। यहां तक कि स्वयं प्रत्यर्थीगण के अनुसार, समझौता केवल एक प्रारूप समझौता है, जिस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई थी। प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों को भी जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया है जो दिखाता है कि शेयरों की प्रस्तावित खरीद के लिए हस्तांतरित राशि ए.ई.डी 16,500,000 नहीं थी, बल्कि केवल ए.ई.डी 7,50,000 थी, जो राशि याचिकाकर्ता की बेटी द्वारा मैसर्स रॉयल सेंचुरियन रियल एस्टेट डेवलपमेंट

एल.एल.सी, दुबई को हस्तांतरित की गई थी, एक विनंती पत्र पर केवल जो मैसर्स सेंचुरियन इंटरनेशनल लिमिटेड की एक सहयोगी संस्था है। इसके अलावा, एक बार प्रस्तावित लेन-देन पूरा नहीं होने के बाद, राशि को बैंकिंग चैनलों द्वारा से याचिकाकर्ता की बेटी को विधिवत वापस कर दिया गया था। प्रत्यर्थीगण ने, इस स्थिति के बारे में पूरी तरह से अवगत होते हुए भी, गलत तरीके से यह चित्रित करने का प्रयास किया है कि याचिकाकर्ता का प्रस्थान देश के आर्थिक हित के लिए हानिकारक होगा ऐसा जानबूझकर इस न्यायालय को इस तथ्य का खुलासा नहीं करके कि उसके घर पर की गई और लॉकर की तलाशी कार्रवाई के बाद किए गए , जो लॉकर था, याचिकाकर्ता ने पिछले छह वर्षों से संचालित नहीं किया था, दो आयकर आकलनों के बाद उसकी अतिरिक्त आय का आकलन केवल रु. 21.40 करोड़ है इस तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में, न तो प्रत्यर्थीगण के इस बयान पर भरोसा किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता रु.1500 करोड़ की धोखाधड़ी में शामिल है और न ही याचिकाकर्ता का मामला दिनांक 05.12.2017 के ओ.एम में पेश किए गए इस धारा के दायरे में आ सकता है।

14. उनके पूर्वोक्त प्रस्तुतिकरण पर पूर्वाग्रह के बिना आक्षेपित एल.ओ.सी जारी करने के लिए कोई आधार नहीं था, श्री पाहवा का तर्क है कि, अन्यथा भी आक्षेपित एलओसी एक वर्ष की अवधि यानी 25.02.2020 के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो गई।, क्योंकि प्रत्यर्थीगण ने यह सुझाव देने के लिए कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया है कि उनके द्वारा कभी भी इसका नवीनीकरण किया गया था।

उनकी याचिका, इस प्रकार, कि दिनांक 27.10.2010 के ओ.ए.म और दिनांक 05.12.2017 के ओ.ए.म दोनों के तहत, यह प्रत्यर्थी स.3 एक वर्ष की अवधि के बाद एल.ओ.सी. के नवीकरण के लिए अनुरोध करना होता है, प्रत्यर्थी स.3, याचिकाकर्ता के एल.ओ.सी के नवीनीकरण के लिए कभी भी ऐसा कोई अनुरोध नहीं करने के बाद, अब उसे आश्रय लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ओ.एम. दिनांक 22.02.2021 के माध्यम से पेश किया गया संशोधन जो पहली बार यह बताता है कि एक बार जारी किया गया एल.ओ.सी तब तक लागू रहेगा जब तक कि निर्माता से विलोपन अनुरोध प्राप्त नहीं हो जाता है। इस प्रकार वह तर्क देते हैं कि विवादित एल.ओ.सी पहले ही समाप्त हो चुकी है।

15. श्री पाहवा, प्रस्तुत करता है, कि 25.02.2019 को एल.ओ.सी जारी करना और लगभग तीन वर्षों तक इसका निरंतर संचालन, विशेष रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी संज्ञेय अपराध या आपराधिक सम्मन देना के पंजीकरण की अनुपस्थिति में, पूर्व दृष्टया अवैध है, और भी अधिक जब यह स्पष्ट है कि वह 19 अलग-अलग अवसरों (16 बार एल.ओ.सी के पूर्व-जारी होने और 3 बार जारी होने के बाद) प्रत्यर्थी सं. 3 के समक्ष उपस्थित होकर उसने उसको जारी किए गए सभी नोटिसों और सम्मनों का पालन किया है| मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखकर **अरविंद नारायणस्वामी बनाम पुलिस उपायुक्त 2017,** एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 3673, वह प्रस्तुत करता है कि एक बार यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता पहले ही प्रत्यर्थी स.3 के समक्ष उन्नीस अलग-अलग

अवसरों पर उपस्थित हुआ है, आक्षेपित एल.ओ.सी के जारी रहने से कोई और उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है।

16. याचिकाकर्ता को अपने व्यावसायिक हितों की देखभाल करने के अलावा, अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य के कारण विदेश यात्रा करने की भी आवश्यकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित है और शहर में कोविड-19 के मामलों में भारी वृद्धि के कारण, दिल्ली में उसके द्वारा आवश्यक नियमित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। इसलिए, वह उसी के इलाज के लिए मेडिसिनिक वेलफेयर, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में डॉ. जानकी गोपालन से मिलने में कामयाब रही हैं। उक्त डॉक्टर ने याचिकाकर्ता की पत्नी को स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार प्राप्त करने के लिए एक महीने की अवधि के लिए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में रहने की सलाह दी है। इस प्रकार, वह प्रार्थना करता है कि चूंकि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी को उसके खराब स्वास्थ्य में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसे उसके इलाज की अवधि के लिए संयुक्त अरब अमीरात में उसके साथ जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

17. वह अंत में प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता, जिसने कभी भी किसी कार्यवाही से बचने या बचने का प्रयास नहीं किया है और हमेशा जांच में अपना पूरा सहयोग दिया है, का देश छोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, जैसा कि प्रत्यर्थीगण द्वारा आरोप लगाया गया है, विशेष रूप से समुदाय में उसकी मजबूत जड़ों और इस

तथ्य को देखते हुए कि उसके दो बच्चों सहित उसका पूरा परिवार दिल्ली में स्थित है। इसलिए, वह प्रार्थना करता है कि इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित एल.ओ.सी को रद्द कर दिया जाए।

18. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से श्री जोहेब हुसैन विद्वान अधिवक्ता, जिसके इशारे पर आक्षेपित एल. ओ. सी. जारी किया गया है, प्रारंभ में प्रस्तुत करते है कि एल. ओ. सी. जारी करना प्रशासनिक कार्रवाई की प्रकृति में है जिसके निर्णय में इस न्यायालय को इस स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि ऐसे मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की गुंजाइश अत्यंत सीमित है। एक बार उपलब्ध सामग्री के आधार पर, उक्त प्रत्यर्थी इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि देश से याचिकाकर्ता का प्रस्थान इसके आर्थिक हितों के लिए प्रतिकूल होगा, इस प्रकार उसके खिलाफ एल.ओ.सी जारी करने की आवश्यकता है, इस न्यायालय को उस प्रत्यर्थी के लिए अपने नजरिये को परिवर्तन नहीं करना चाहिए | *भारत संघ बनाम जी. गणायुथम (1997) 7 एस. सी. सी. 463* के निर्णय पर भरोसा करते हुए, वह तर्क देते हैं कि जब तक आक्षेपित एल. ओ. सी. जारी करने का निर्णय प्रशंसनीय पाया जाता है, तब तक उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है और इसलिए प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को अकेले इस आधार पर खारिज कर दिया जाए।

19. श्री हुसैन, फिर प्रस्तुत करते हैं, कि याचिकाकर्ता का तर्क है कि आक्षेपित एल.ओ.सी दिनांक 27.10.2010 के ओ.एम के प्रावधानों के विपरीत है, जो प्रदान करता है कि एल.ओ.सी का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब व्यक्ति भा.दं.सं. के तहत संज्ञेय अपराध में शामिल हो या कोई अन्य दंडनीय कानून इसलिए अपास्त किए के लिए उत्तरदायी है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि याचिकाकर्ता सुविधाजनक रूप से दिनांक 27.10.2010 के ओ.एम के संशोधन के प्रभाव को दिनांक 05.12.2017 के ओ.एम के द्वारा नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा है 2010 के ओएम, 2017 में संशोधित किए जाने के बाद, दिनांक 05.12.2017 के ओ.एम के माध्यम से, अब यह परिकल्पना की गई है कि असाधारण परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के खिलाफ एल.ओ.सी जारी किया जा सकता है, भले ही वह किसी संज्ञेय अपराध में शामिल न हो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी, जहां अधिकारियों को यह प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति का प्रस्थान 'भारत के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक' है। इस वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के आवास और लॉकर की तलाशी में पर्याप्त डिजिटल सबूत जब्त किए गए थे यह

दिखाने के लिए कि वह दुबई को ओवर-इनवॉयस किए गए सामानों के निर्यात में शामिल था और अपनी बेटी के नाम पर, एक श्री अमित अग्रवाल से दुबई में एक कंपनी में 10% शेयर भी चोरी-छिपे खरीदे थे| याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से एक बड़े पैमाने के वित्तीय घोटाले में शामिल था, जिसका आगे की जांच के बाद ही पूरी तरह से पता लगाया जा सकता है, जो अभी भी चल रही है। इसलिए, वह तर्क देता है कि इन तथ्यों के प्रकाश में, प्रत्यर्थीगण को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित ठहराया गया था कि असाधारण परिस्थितियां मौजूद थीं जहाँ दिनांक 05.12.2017 का ओएम के द्वारा 'भारत के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक' खंड पेश किया गया यह न केवल उचित था बल्कि वास्तव में आवश्यक था।

20. वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता की याचिका के विपरीत कि मेसर्स सेंचुरियन इंटरनेशनल लिमिटेड में शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम रूप में केवल ए.ई.डी 750000/- की राशि का भुगतान किया गया था, जिसके बारे में दावा किया गया है कि प्रस्तावित लेनदेन के पूरा नहीं होने के बाद यह राशि वापस प्राप्त हुई थी, यह दिखाने के लिए पर्याप्त प्रथमदृष्टया सबूत हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा बहुत अधिक राशि का भुगतान किया गया था, और वह भी एक अलग इकाई, अर्थात् मेसर्स रॉयल सेंचुरियन रियल एस्टेट डेवलपमेंट एलएलसी, दुबई को, जो राशि कभी

वापस नहीं की गई थी। इसलिए, वह तर्क देता है कि यह स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार की दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में संपत्ति है, जिनकी संपत्ति उनके आयकर रिटर्न में प्रकट नहीं की गई है।

21. आगे, यह पाया गया है कि जिन कंपनियों के बारे में उसने खुलासा किया है, उनके अलावा, याचिकाकर्ता का, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के द्वारा, दो अन्य कंपनियों: मैसर्स जेबीबी अपेरल्स प्रा. लिमिटेड और मैसर्स जेबीएन अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड में नियंत्रणकारी हित है, इसके अतिरिक्त, श्री अवतार सिंह कोचर, जो हवाला घोटाला चलाते पाए गए हैं, और जिस संबंध में याचिकाकर्ता के निवास पर तलाशी कार्रवाइयों के लिए प्राधिकरण का प्रारंभिक वारंट जारी किया गया था, उसने यह भी खुलासा किया है कि याचिकाकर्ता के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कुछ कंपनियों का उपयोग उसके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया के लिए किया जा रहा था। इसलिए, उसका तर्क है कि यदि उपरोक्त सभी अपराधों को ध्यान में रखा जाता है, तो याचिकाकर्ता द्वारा कर चोरी की राशि 1500 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

22. श्री हुसैन, फिर प्रस्तुत करते हैं, कि याचिकाकर्ता की दलील है कि एलओसी केवल एक अपतटीय कंपनी अर्थात् मेसर्स सेंचुरियन इंटरनेशनल लिमिटेड में याचिकाकर्ता द्वारा उसके आवास से निवेश के लिए एक मसौदा समझौते के आधार पर जारी किया गया है, पूरी तरह अनुपयुक्त है क्योंकि उनके व्हाट्सएप चैट के

रूप में सहायक सबूत हैं, जो पुष्टि करते हैं कि, मसौदा समझौते के अनुसार, उन्होंने वास्तव में मेसर्स सेंचुरियन इंटरनेशनल लिमिटेड में 10% शेयरों की खरीद के लिए 06.01.2019 को 1.65 मिलियन एईडी का भुगतान किया था। अब तक उनके खिलाफ कोई आपराधिक शिकायत दर्ज क्यों नहीं की गई है, इसका एकमात्र कारण यह है कि आयकर विभाग समय से पहले काम करने के बजाय, दुबई में याचिकाकर्ता के हितों और संपत्तियों के बारे में दुबई के अधिकारियों से पुष्टि का इंतजार कर रहा है। यदि, केवल दुबई में सरकारी अधिकारियों द्वारा जानकारी भेजने में देरी के कारण, याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, तो वह विदेशों में, विशेष रूप से दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में उपलब्ध सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। इस प्रकार, वह तर्क देते हैं कि इसलिए याचिकाकर्ता के प्रस्थान को 'भारत के आर्थिक हितों' के लिए हानिकारक माना गया है और उन्हें व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

23. इस बात पर जोर देने के अलावा कि याचिकाकर्ता द्वारा जिन फैसलों पर भरोसा किया गया है, वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं हैं, श्री हुसैन ने अपनी दलीलों के समर्थन में, **पी. बालाकोटैया बनाम भारत संघ और अन्य एआईआर 1958 एससी 232** में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर यह तर्क देने के लिए भरोसा किया है कि कोई कार्रवाई करते समय किसी विशिष्ट प्रावधान को लागू न करने से कार्रवाई की वैधता प्रभावित नहीं होती है या किसी भी तरह से

उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अधिकार को नकारता है। उन्होंने **जी.एस.सी. राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2019) 106 एसीसी 437**, पर भी भरोसा जताया जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में शामिल भारी राशि को ध्यान में रखते हुए, जिसकी जांच चल रही थी, याचिकाकर्ता द्वारा जांच में सहयोग करने के बावजूद एलओसी को रद्द करने की प्रार्थना को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि न्यायालय इस बात की अवहेलना नहीं कार सकती कि याचिकाकर्ता के देश से भागने का प्रयास करने की सम्भावना थी| उन्होंने आगे **एस. मार्टिन बनाम पुलिस उपायुक्त एससीसी ऑनलाइन मैड 426** पर भरोसा जताया जिसमें, मद्रास उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए एलओसी जारी करने को बरकरार रखा कि असाधारण परिस्थितियों में, प्रतिवादी किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचने और उसे जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर करने से रोकने के लिए एलओसी का सहारा ले सकते हैं। इसलिए, वह तर्क देता है कि वर्तमान मामले में, भले ही यह स्वीकार किया गया हो कि याची अधिकारियों के साथ विधिवत सहयोग कर रहा है, प्रतिवादी नं. 3 को अभी भी देश से भागकर गिरफ्तारी से बचने के प्रयास से रोकने के लिए एलओसी जारी करने का अनुरोध करने के लिए उचित ठहराया गया था।

24. श्री अनुराग अहलूवालिया, प्रतिवादी नं. 1 के विद्वान अधिवक्ता, वह अभिकरण जिसने प्रतिवादी नं. 3 के कहने पर, आक्षेपित एलओसी जारी किया, जबकि प्रतिवादी नं.3 की ओर से की गई प्रस्तुतियों को अपनाते समय, प्रस्तुत

किया कि एलओसी जारी करने की प्रक्रिया, दिनांक 27.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन/ओएम में निर्धारित दिनांक 05.12.2017 के कार्यालय ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन/ओएम द्वारा संशोधित, का ईमानदारी से पालन किया गया है। वह आगे तर्क देता है कि किसी भी स्थिति में, प्रतिवादी नं. 1 केवल जारी करने वाली एजेंसी है, और इसलिए प्रतिवादी नं. 3. द्वारा उपलब्ध कराई गई निविष्टियों पर कार्यवाई की है| एक बार प्रतिवादी नं. 3 ने यह बात सामने लाई है कि देश से याची का प्रस्थान उसके आर्थिक हितों के लिए हानिकारक होगा, प्रतिवादी नं. 1 का उक्त पर सन्देह करने या एलओसी जारी करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए, वह यह भी प्रार्थना करता हैं कि वर्तमान रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

25. पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और रिकॉर्ड के अवलोकन से, मैं पाता हूं कि वर्तमान मामले में मेरे विचार के लिए चार मुद्दे उठते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या न्यायालय होने के नाते एल. ओ. सी. जारी करने में हस्तक्षेप कर सकता है या क्या यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निर्णय है, जिसमें न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जैसा कि प्रतिवादी नं. 3. द्वारा तर्क दिया गया है| दूसरा मुद्दा, चाहे दिनांक 27.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन/ओएम के तहत एलओसी जारी करने के लिए अनुरोध किया गया हो, प्रतिवादी अब केवल दिनांक 05.12.2017 कार्यालय ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन/ओएम द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद पर भरोसा करके कार्यालय

ज्ञापन/एलओसी का बचाव करने की मांग कर सकते हैं, जो पहली बार कार्यालय ज्ञापन/एलओसी जारी करने की अनुमति देता है, भले ही किसी संज्ञेय अपराध में कोई संलिप्तता न हो, दिनांक 27.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन/एलओसी के तहत एलओसी जारी करने के लिए एक पूर्व-शर्त है।

26. मेरे विचारार्थ उत्पन्न होने वाला तीसरा मुद्दा यह है कि क्या आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन/एलओसी को इसके जारी होने की तारीख से एक वर्ष के बाद व्यपगत माना जा सकता है या क्या वह अभी भी अधिकार क्षेत्र में कायम है, जैसा कि प्रतिवादी नं. 3 द्वारा इच्छा की गई है, जिसके उद्देश्य के लिए प्रतिवादी नं. 1 द्वारा दिनांक 22.02.2021 के कार्यालय ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन/ओएम द्वारा जारी समेकित दिशानिर्देशों पर भरोसा रखा गया है| दूसरे मुद्दे के उत्तर के आधार पर, चौथा और अंतिम मुद्दा, जो मेरी राय में निर्णायक मुद्दा है, जिस पर वर्तमान मामले का परिणाम निर्भर करेगा, वही यह है कि क्या याचिकाकर्ता का मामला अनुच्छेद 'देश के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक' के दायरे में आएगा और यदि हां, क्या प्रतिवादी आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन/एलओसी द्वारा याचिकाकर्ता के अधिकारों को अनिश्चित अवधि के लिए कम करना जारी रख सकते हैं, जब स्वीकार किया जाता है, उसके खिलाफ आज तक, कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

27. इससे पहले कि मैं यहां ऊपर उल्लिखित मुद्दों पर चर्चा करूं, दो कार्यालय ज्ञापन/एलओसी के अधिकार धारण करने वाले संबंधित अनुच्छेद का उल्लेख करना आवश्यक होगा। मैं सबसे पहले दिनांक 27.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन/एलओसी के परिच्छेद 8 (छ) और (ज) का उल्लेख कर सकता हूं जो निम्नानुसार हैः-

कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27 अक्तूबर, 2010

> "छ) भा.दं.सं. या अन्य दंड कानूनों के तहत संज्ञेय अपराध में एलओसी का सहारा लिया जाना है। संलग्न प्रपत्र में कॉलम IV में 'एलओसी खोलने का कारण' के बारे में विवरण अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना चाहिए जिसके बिना एलओसी के विषय को गिरफ्तार/हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
>
> ज) ऐसे मामलों में जहां भा.दं.सं. या अन्य दंड कानूनों के तहत कोई संज्ञेय अपराध नहीं है, एलओसी विषय को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है/गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है या देश छोड़ने से रोका नहीं जा सकता है। प्रारंभिक एजेंसी केवल अनुरोध कर सकती है कि ऐसे मामलों में उन्हें संबंधित व्यक्ति के आगमन/प्रस्थान के बारे में सूचित किया जाए।

28. अब मैं दिनांक 05.12.2017 के कार्यालय ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन/ओएम के प्रासंगिक उद्धरण पर ध्यान दें दे सकता हूं, जो निम्नानुसार है -

> **विषय: भारतीय नागरिकों और विदेशियों के संबंध में एलओसी जारी करने के लिए दिनांक 27.10.2010 के परिपत्र में संशोधन हेतु।**
>
> **मंत्रालय के दिनांक 27.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन/ओएम नं. 25016/31/2010-Imm की निरंतरता में और सक्षम**

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा जारी किया गया है (जोर दिया गया):-

संशोधन-

इस प्रकार पढ़ें:-

"असाधारण मामलों में, एलओसी ऐसे मामलों में भी जारी किए जा सकते हैं, जो उपरोक्त दिशानिर्देशों द्वारा आच्छादित नहीं किए जाएंगे, जिसके तहत उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन/ओएम के अनुच्छेद (ख) में उल्लिखित किसी भी प्राधिकरण के अनुरोध पर भारत से किसी व्यक्ति के प्रस्थान को अस्वीकार किया जा सकता है, यदि ऐसे प्राधिकरण को प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति का प्रस्थान भारतीय की संप्रभुता या सुरक्षा या अखंडता के लिए हानिकारक है या यह किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों या भारत के रणनीतिक और/या आर्थिक हितों के लिए हानिकारक है या यदि ऐसे व्यक्ति को जाने की अनुमति दी जाती है, तो वह संभावित रूप से राज्य के खिलाफ आतंकवाद या अपराधों में लिप्त हो सकता है और/या इस तरह के प्रस्थान की अनुमति किसी भी समय पर बड़े हित में नहीं दी जानी चाहिए।"

इसके बजायः

असाधारण मामलों में, सीआई संदिग्धों, आतंकवादियों, राष्ट्र विरोधी तत्वों आदि के खिलाफ व्यापक राष्ट्रीय हित में पूर्ण मापदंडों और/या मामले के विवरण के बिना एलओसी जारी किए जा सकते हैं।"

29. दिनांक 27.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन/ओएम और दिनांक 05.12.2017 के कार्यालय ज्ञापन/ओएम दोनों के प्रासंगिक उद्धरणों को ध्यान में रखते हुए, मैं पहले मुद्दे पर विचार कर सकता हूं कि क्या न्यायालय एलओसी जारी करने में हस्तक्षेप कर सकता है। मेरे विचार में, यद्यपि प्रतिवादी यह तर्क देने में न्यायोचित हैं कि एलओसी जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश बहुत सीमित है, यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक है या किसी भी स्थिति में न्यायालय एलओसी जारी करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए कारणों की जांच नहीं कर सकता है। एलओसी को चुनौती देने पर विचार करते समय, न्यायालयों की निस्संदेह एक माध्यमिक भूमिका होती है; और जब तक यह पाया जाता है कि एलओसी जारी करने का अधिकारियों का निर्णय उचित है, तब तक न्यायालय एलओसी जारी करने के प्राधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने में सावधान रहेगी|

29. हालांकि, एलओसी जारी करने के प्राधिकरण के निर्णय की जांच करने के लिए न्यायिक समीक्षा की न्यायालय की शक्तियों पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है।

एलओसी जारी करने से व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के आलोक में, प्रत्यर्थी का अभिकथन कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट न्यायालय को एलओसी जारी करने के निर्णय की समीक्षा नहीं करनी चाहिए, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकारियों का निर्णय सुसंगत कारकों पर विचार किए बिना है, तो न्यायालय को, और वास्तव में, व्यक्ति के बचाव में आना चाहिए। मुझे, इसलिए प्रत्यर्थी के अभिवचन में कोई गुणागुण नहीं लगता है कि इस न्यायालय को आक्षेपित एलओसी की वैधता की जांच नहीं करनी चाहिए।

30. अब दूसरे मुद्दे पर आते हुए, जो उभरता है वह यह है कि याचिकाकर्ता ने, प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दायर प्रति शपथ-पत्र पर भरोसा जताते हुए, प्रबल रूप से आग्रह किया है कि प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा आक्षेपित आदेश को जारी किए जाने का अनुरोध जो की कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 27.10.2010 के अंतर्गत किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि एलओसी केवल तभी जारी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत या किसी अन्य दंड विधि के तहत संज्ञेय अपराध में संलिप्त हो, अब प्रत्यर्थी संसोधित कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 05.12.2017 के अंतर्गत शरण लेने के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता ने, इस बात से इनकार नहीं करते हुए, कि याचिकाकर्ता, आज की तिथि तक, किसी भी संज्ञेय अपराध में शामिल नहीं है, यह आग्रह करके एलओसी का बचाव करने की मांग की है कि याचीगण का मामला स्पष्ट रूप से '*भारत के आर्थिक हितों के लिए*

हानिकारक' शब्द के दायरे में आता है, जैसा कि कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 05.12.2017 के माध्यम से एलओसी जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। यह प्रत्यर्थीगण का रुख है कि 2017 में पेश किया गया खंड केवल 2010 में जारी कार्यालय ज्ञापन में संशोधन की प्रकृति में है और इसलिए, कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 27.10.2010 ही लागू कार्यालय ज्ञापन के रूप में जारी है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी का अभिकथन है कि एलओसी जारी करने का अनुरोध को केवल 2010 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत ही जारी किया जा सकता था, और इसलिए, उसी के अंतर्गत इसे सही ढंग से बनाया गया था।

31. कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 05.12.2017 के प्रावधानों के अवलोकन मात्र से, मैं याचिकाकर्ता के इस अभिकथन को प्रतिग्रहण करने में असमर्थ पाता हूं कि चूँकि एलओसी के लिए अनुरोध, 2010 के कार्यालय ज्ञापन के तहत किया गया है, 2017 में पेश किए गए खंड का कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता है। दिनांक 05.12.2017 का कार्यालय ज्ञापन स्पष्ट रूप से दिनांक 27.10.2010 के परिपत्र में संशोधन की प्रकृति में था, जिस कार्यालय ज्ञापन का शीर्षक ही, यह स्पष्ट करता है कि कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 27.10.2010 के एक विद्यमान खंड में, अपवाद खंड के तहत आने वाले मामलों से निपटने के लिए संशोधन करने की मांग की गई थी। अन्यथा भी, मुझे लगता है कि 2017 का यह कार्यालय ज्ञापन, 2010 के मौजूदा कार्यालय ज्ञापन में संशोधन शुरू करने के अतिरिक्त, किसी भी नए दिशानिर्देशों को निर्धारित या संदर्भित नहीं करता है। इसलिए, दिनांक 05.12.2017 के कार्यालय

ज्ञापन द्वारा केवल एक संशोधन करना चाहा गया था। इसलिए, प्रत्यर्थीगण का यह प्रतिवाद करना सही है कि दिनांक 05.12.2017 को जारी कार्यालय ज्ञापन केवल एक संशोधन लाया और यह 2010 का कार्यालय ज्ञापन है जो बाद में पेश किए गए संशोधन के साथ भी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाये रखा है।

32. मेरी सुविचारित राय में, एक बार फरवरी 2019 में याचिकाकर्ता के खिलाफ आक्षेपित एलओसी जारी करने का अनुरोध किया गया था, तो उसके मामले को अनिवार्य रूप से 2010 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा नियंत्रित किया जाना आवश्यक था, साथ ही 2017 में पेश किए गए संशोधन सहित सभी अद्यतन संशोधनों के साथ। याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी जारी करने के अनुरोध को अग्रेषित करते समय, 2010 के कार्यालय ज्ञापन का सन्दर्भ लेते हुए प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा की गई कार्रवाई इसलिए उचित थी और इस तरह के प्रतिबंधात्मक तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि यह संकेत दिया जा सके कि, चूँकि दिनांक 05.12.2017 के कार्यालय ज्ञापन का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है, यह माना जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी सं. 3 का दिनांक 05.12.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा समाविष्ट किए गए खंड को लागू करने का इरादा कभी नहीं था। याचिकाकर्ता की कार्रवाई, 2017 संशोधन द्वारा पेश किए गए खंड पर भरोसा जताते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ एलओसी जारी करने को उचित ठहराने में, इसलिए, दोषयुक्त नहीं ठहराया जा सकता है।

33. अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं, कि क्या दिनांक 25.02.2019 को प्रत्यर्थी सं. 3 द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसरण में जारी किया गया आक्षेपित एलओसी को व्यपगत माना जा सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया है, जिसने दिनांक 27.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन के अनुछेद 8 (i) पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा दृढ़तापूर्वक अनुनय किया गया है कि एलओसी एक वर्ष के बाद अपने आप व्यपगत हो जाता है। याची द्वारा यह अभिवचन दिया गया है कि एक बार याचिकाकर्ता द्वारा अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है कि इसे कभी नवीनीकृत किया गया था, तो एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि यह एक वर्ष के बाद अपने आप व्यपगत हो गया था। याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह आग्रह किया गया है कि एक बार फरवरी, 2020 में एलओसी व्यपगत हो जाने के बाद दिनांक 22.02.2021 को जारी दिशा-निर्देश, मृत एलओसी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रत्यर्थीओं की सहायता के लिए नहीं आ सकते हैं। दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण ने प्रतिवाद किया है कि एलओसी को समय-समय पर यथाविधि बढ़ाया गया था और इसलिए, जब फरवरी, 2021 में संशोधन प्रस्तुत किया गया था, तब यह लागु था और तक तक लागु रहेगा जब तक कि प्रत्यर्थी सं. 3 अर्थात जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा विलोपन का अनुरोध नहीं किया जाता है।

34. इस मुद्दे पर पक्षकारगण की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, दिनांक 27.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन के खंड 8 (i) का सन्दर्भ लेना आवश्यक होगा जो निम्नानुसार हैः

"8 (i) एलओसी जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और इसके बाद विषय का नाम स्वतः एलओसी से हटा दिया जाएगा जब तक कि संबंधित अभिकरण एक वर्ष की अवधि के भीतर इसके नवीनीकरण के लिए अनुरोध नहीं करती है। दिनांक 1.1.2011 से, एक वर्ष से अधिक की वैधता वाली सभी एलओसी को व्यपगत माना जाएगा जब तक कि संबंधित अभिकरण एलओसी में नामों को जारी रखने के लिए बीओआई से विशेष रूप से अनुरोध नहीं करती हैं। हालांकि, एक वर्ष के बाद स्वतः विलोपन के लिए यह प्रावधान निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:

क. वांछित व्यक्तियों के आगमन को देखने के लिए जारी प्रतिबंध-प्रवेश एलओसी (जिनकी एक विशिष्ट अवधि होती है);

ख. पासपोर्ट एलओसी का लोप (जो आमतौर पर दस्तावेज की वैधता तक जारी रहता है);

ग. पासपोर्ट जब्त करने के संबंध में एलओसी;

घ. न्यायालयों और इंटरपोल के आदेश पर जारी किए गए एलओसी।

दिनांक 22.02.2021 को जारी दिशानिर्देशों के खंड 'ञ' के अनुसार, जो निम्नानुसार हैः

(ञ) जारी किया गया एलओसी तब तक लागू रहेगा जब तक कि बीओआई द्वारा जारीकर्ता से ही विलोपन अनुरोध प्राप्त नहीं किया जाता है। कोई भी एलओसी स्वतः नहीं हटाई जाएगी। जारीकर्ता अभिकरण को तिमाही और वार्षिक आधार पर अपने आदेश से जारी गए एलओसी की समीक्षा करते रहना चाहिए और इस तरह

की समीक्षा के तुरंत बाद एलओसी को हटाने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने चाहिए, यदि कोई हो। बीओआई को सामान्य माध्यमों के साथ-साथ ऑनलाइन पोर्टल द्वारा एलओसी जारीकर्ता से संपर्क साधना चाहिए। उन सभी मामलों में जहां जिस व्यक्ति के खिलाफ एलओसी जारी किया गया है, वह अब जारीकर्ता अभिकरण या सक्षम न्यायालय द्वारा वांछित नहीं है, तो एलओसी हटाने के अनुरोध को बीओआई को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में न पड़े।"

35. कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 27.10.2010 एवं 22.02.2021 में इन खंडों के अवलोकन पर, जो सामने आता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता न्यायोचित है यह आग्रह करने में कि कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.10.2010 के अनुसार, एक बार जारी किया गया एलओसी केवल एक वर्ष के लिए मान्य था, जब तक कि इसे विशेष रूप से नवीनीकृत नहीं किया गया था; हालाँकि, दिनांक 22.02.2021 के कार्यालय ज्ञापन जारी होने के बाद यह स्थिति मौलिक रूप से बदल गई है। दिनांक 22.02.2021 को जारी दिशानिर्देशों के खंड 'ञ' के अंतर्गत, स्थिति को उलट दिया गया है, और अब एक बार एलओसी जारी होने के बाद, हटाने का अनुरोध किए जाने तक लागू रहता है। एलओसी को स्वतः हटाने की अवधारणा अब अस्तित्व में नहीं है। निस्संदेह, प्रत्यर्थी सं. 3, वर्तमान मामले में जारीकर्ता अभिकरण से अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर अपने आदेश पर जारी एलओसी की समीक्षा करे। हालांकि, तथ्य यह है कि वर्तमान मामले में, यह प्रत्यर्थीगण का स्पष्ट रुख

है कि फरवरी, 2019 में जारी किया गया एलओसी दिनांक 20.02.2021 को लागू था, जब नए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता इसके विपरीत कुछ भी दर्शाने में विफल रहा है। इसलिए, प्रत्यर्थी के इस अभिकथन पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है कि आक्षेपित एलओसी को समय-समय पर बढ़ाया गया था, और दिनांक 22.02.2021 को अस्तित्व में था जब ये समेकित दिशानिर्देश लागू हुए थे।

36. हालाँकि, मामला यहीं समाप्त नहीं होता है और अब जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को निर्धारित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या 2017 में संशोधन के माध्यम से इस विशिष्ट शर्त के साथ समाविष्ट किया गया खंड '*भारत के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक*', कि इसका उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाएगा, ने वर्तमान मामले के तथ्यों में, पुनस्थापित किया गया, आक्षेपित एलओसी जारी करने के लिए, और यह भी कि क्या आक्षेपित एलओसी को पिछले लगभग 3 वर्षों तक जारी रखा जा सकता है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई कार्यवाही किए बिना या याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य दंड विधि शुरू किए बिना। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एलओसी जारी करना अनिवार्य रूप से किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा करने के अधिकारों को कम करता है और इसलिए, मेरा विचार है कि इस खंड को लागू करने के लिए, जो किसी भी स्थिति में, केवल असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किया जाना है, एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है कि जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा एक उचित विश्वास का गठन होना चाहिए कि किसी

व्यक्ति का प्रस्थान इस हद तक '*भारत के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक*' होगा कि विदेश यात्रा करने के लिए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार में कटौती को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, जो उभर रहा है, वह यह है कि प्रत्यर्थीगण का पूरा मामला यह मानने पर है कि याचिकाकर्ता का देश से प्रस्थान *'भारत के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक होगा*", एक अहस्ताक्षरित समझौते मसौदा और कुछ व्हाट्सएप चैट पर टिका है, जो कि प्रत्यर्थी का अपना मामला है, निर्णायक नहीं हैं।

प्रत्यर्थीगण, इसलिए, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में अधिकारियों को अपने एफटी एंड टीआर संदर्भों के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि याचिकाकर्ता के खिलाफ काला धन अधिनियम 2015, आयकर अधिनियम 1969 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत आगे बढ़ें, जो वास्तव में, प्रत्यर्थी सं. 3 स्वयं प्रतिवादी नं। 1, एलओसी जारी करने के लिए अपने अनुरोध को आगे बढ़ाते हुए।

37. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने दुबई सरकार से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं यह दिखाने के लिए कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूर्ण रूप से असत्य हैं और न तो वह और न ही उनके परिवार के सदस्यों के पास दुबई में किसी भी कंपनी में कोई संपत्ति या शेयर हैं| ये प्रमाणपत्र, जैसा मैं नोट करता हूं, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और ही प्रत्यर्थीगण को प्रस्तुत 2019 में किए गए थे| हालाँकि इस स्तर पर यह सही है कि इस न्यायालय से न तो साक्ष्य की विस्तार से जांच करने की अपेक्षा की जाती है और न ही साक्ष्य की कमी निर्णायक होगी, फिर भी

यह तथ्य कायम है कि विचाराधीन एलओसी लगभग तीन वर्षों से प्रभावी है, जिसके दौरान, प्रत्यर्थीगण ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ काला धन अधिनियम 2015, आयकर अधिनियम 1969, या धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत आगे की कोई कार्यवाही नहीं की है| दिनांक 05.07.2021 को पारित दो आयकर मूल्यांकन आदेशों ने याचिकाकर्ता की अतिरिक्त आय का आकलन 21.40 करोड़ रुपए किया; यहां तक कि इन आदेशों को भी याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है| यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि जुलाई, 2019 में दुबई के सरकारी प्राधिकार को प्रत्यर्थी सं.3 द्वारा किए गए एफटी एंड टीआर संदर्भों के आलावा प्रत्यर्थीगण में से किसी के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिससे उनके आरोप सिद्ध हो सकें कि याचिकाकर्ता एक बड़े वित्तीय घोटाले में शामिल है या किसी अन्य दंड विधि के तहत किसी अपराध में शामिल है| इस प्रकार, जब तिथि पर याचिकाकर्ता द्वारा कृत अभिकथित आर्थिक अपराधों के संबंध में कोई सक्रिय जाँच नहीं है, इस तथ्य के साथ कि याचिकाकर्ता 19 अवसरों पर प्रत्यर्थी सं. 3 के सामने आया है तो मुझे याचिकाकर्ता की दलील को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उसके खिलाफ एलओसी जारी करने का आधार ही एक संदेह पर आधारित है, जो संदेह आज भी केवल एक संदेह बना हुआ है और शायद यही कारण है कि लगभग तीन साल की अत्यधिक लंबी अवधि के बाद भी उसके खिलाफ काला धन अधिनियम,

आयकर अधिनियम या धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अभियोजन क्यों नहीं किया गया है|

38. इसके अलावा, भले ही प्रत्यर्थी की दलील को स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता के विदेशी हितों के बारे में चल रही जाँच को देखते हुए फरवरी, 2019 में एलओसी जारी करना उचित था तो भी इस एलओसी को लगभग तीन साल तक बिना किसी ठोस कारणों के जारी रखना समझ में नहीं आता है| मेरी सुविचारित राय में, यह प्रत्यर्थीगण के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि वह याचिकाकर्ता के विदेश यात्रा पर नियमित और यांत्रिक तरीके से रूकावट लगाए बिना इस तथ्य पर उचित विचार किए कि लगभग तीन वर्षों के बाद भी याचिकाकर्ता पर काला धन अधिनियम 2015, आयकर अधिनियम 1969, या धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत आरोप लगाने के लिए अभी भी पर्याप्त सबूत नहीं है| यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर याचिकाकर्ता, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात को वस्त्र निर्यात करके अपनी आजीविका कमाते हैं; इस तरह के व्यवसाय का एक अभिन्न अंग विदेश यात्रा है| एलओसी न केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कम करता है बल्कि उनकी आजीविका के अधिकार को भी कम करता है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है| इस प्रकार, याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना किसी निकट अंत के एलओसी को जारी करना निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के व्यावसायिक हितों को अपूरणीय और भारी नुकसान पहुंचाएगी| यह भी ध्यान

रखना होगा कि एलओसी जारी करना एक अत्यंत गंभीर कदम है और जब कथित रूप से असाधारण परिस्थितियों में इस आधार पर कि व्यक्ति का प्रस्थान 'भारत के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक होने' पर जारी किया जाता है तो अधिकारियों को सतर्कता बरतनी होगी| एक बार जब इस उपबंध के उपयोग का उद्देश्य तब असाधारण परिस्थितियों में किया जाना होगा, तो इसे इस तरह के यांत्रिक तरीके से उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जैसा कि वर्तमान मामले में है।

39. केवल इसलिए कि कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 05.12.2017 असाधारण परिस्थितियों में एलओसी जारी करने की अनुमति देता है, भले ही व्यक्ति भा.दं.सं. या किसी अन्य दंड विधि के तहत किसी संज्ञेय अपराध में शामिल न हो, यह तब याद रखना होगा कि इस शक्ति का उपयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है न कि नियमित रूप से, इसलिए इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि जो इस तरह की क्षमता के अपराध को इंगित करती है जो देश के आर्थिक हितों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है| किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे देशों में बैंक खाते खोलने और किसी विदेशी कंपनी में निवेश करने का मात्र संदेह, मेरे विचार में याचिकाकर्ता की विदेश यात्रा की स्वीकृति को 'भारत के आर्थिक हितों के लिए हानिकारक होने' का आधार नहीं माना जा सकता, जब यह निर्विवाद है कि यह संदेह लगभग तीन वर्षों की इतनी लंबी अवधि के लिए संदेह ही बना हुआ है|

40. इस स्तर पर, ***बृज भूषण कथुरिया बनाम भारत संघ 2020 एससीसी ऑनलाइन डीइएल 1913*** में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ की टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उचित हो सकता है, जहां न्यायालय ने उसमें एलओसी को निलंबित करते हुए 'आर्थिक हित' और 'व्यापक सार्वजनिक हित' शब्दों के प्रभाव पर निम्नलिखित पर गौर करते हुए विचार किया है:-

> *"18. याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। जांच अधिकारियों द्वारा उसकी भूमिका का भी पता लगाया जाना बाकी है। 'आर्थिक हित' या 'व्यापक सार्वजनिक हित' जैसे वाक्यांशों का विस्तार इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि एक स्वतंत्र निदेशक को शामिल किया जा सके, जो अतीत में उस कंपनी से जुड़ा था जिसकी जांच की जा रही थी वह भी बिना किसी विशिष्ट भूमिका के जैसा कि वर्तमान मामले में है| याचिकाकर्ता के फरार होने का कोई खतरा नहीं है कि चूँकि उसकी पत्नी और बच्चे दिल्ली/एनसीआर के निवासी हैं|*

41. मेरे निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले, उन निर्णयों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जिन पर प्रत्यर्थीगण द्वारा भरोसा जताया गया है| जी.एस.सी. राव बनाम यू.पी. राज्य (2019) 106 एससीसी 437 के अनुच्छेद 11 में, जिस पर प्रत्यर्थी सं.3 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलील के समर्थन में भरोसा किया है कि अभियुक्त के चल रही जाँच में मात्र सहयोग करने के तथ्य का इस बात पर कोई

प्रभाव नहीं पड़ सकता है कि उसके विरुद्ध एलओसी जारी किया जाना चाहिए था या नहीं, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है कि:-

> *"11. हम कार्ति पी. चिदम्बरम (पूर्वोक्त) के निर्णय में अधिकथित विधि के पुनरीक्षणवादी-अभियुक्त को लाभ देने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि वर्तमान मामले में, एल. ओ. सी. उस मामले में पुनरीक्षणवादी से पूछताछ करने की दृष्टि से जारी किया गया है जिसमें पहले ही प्राथमिकी आर. दर्ज की जा चुकी है और जांच चल रही है। केवल इसलिए कि संशोधनवादी अब तक जांच में सहयोग कर रहा था, हमें यह विश्वास नहीं दिला सकता है कि वह भविष्य में अपनी गिरफ्तारी से बच नहीं पाएगा। यदि उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक सबूत रिकॉर्ड पर आते हैं, तो उसके विदेश भागने के इस मामले में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।"*

जो स्पष्ट रूप से सामने आता है वह यह है कि पूर्वोक्त मामले में, न्यायालय एक ऐसी स्थिति से निपट रहा था जहां एक प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी थी और उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक जांच चल रही थी जिसके खिलाफ एलओसी जारी की गई थी| *एस. मार्टिन बनाम पुलिस उपायुक्त एससीसी ऑनलाइन मैड 426* में भी यही स्थिति थी| वर्तमान मामलों में, जैसा कि पहले ही नोट किया जा चुका है याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी दंड विधि के तहत कोई कार्यवाही वास्तव में शुरू नहीं की गई है| इसलिए यह निर्णय स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और किसी भी तरह से प्रत्यर्थीगण के मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं|

42. पूर्वोक्त कारणों से, आक्षेपित एलओसी पूरी तरह से टिकाऊ नहीं है और अभिखंडित किए जाने के योग्य है| हालाँकि, प्रत्यर्थी सं.3 के अभिवाक को ध्यान में रखते हुए कि अभी भी दुबई के अधिकारियों से सहयोग की प्रतीक्षा की जा रही है जिस जानकारी के प्राप्त होने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ विभिन्न दंड विधियों के तहत मामले शुरू किए जाने की संभावना है, मेरा विचार है, कि याचिकाकर्ता के लिए न्याय के हित में होगा कि जब वह अगले एक साल में देश से बाहर जाने का फैसला करते हैं तो प्रत्यर्थी सं.3 को सूचित करें|

43. रिट याचिका को तदनुसार, आक्षेपित एलओसी और उसके विस्तार को अभिखंडित करते हुए अनुमति दी जाती है साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि अगले एक वर्ष के लिए प्रत्यर्थी सं. 3 को देश से प्रस्थान या प्रवेश करते समय सूचित करें|

44. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई या शुरू की जाने वाली किसी भी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा|

(रेखा पल्ली)

न्यायाधीश

12 जनवरी,2022

केके/एमएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*